भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1804

29 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

एफसीआई के गोदामों में खराब/नष्ट हुए खाद्यान्न

1804. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पाँच वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में अपर्याप्त, जर्जर अथवा खराब भंडारण व्यवस्था, वर्षा, आग, कीट प्रकोप तथा अन्य कारणों से बड़ी मात्रा में गेहूँ और चावल खराब अथवा नष्ट हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इससे नष्ट हुए खाद्यान्न की मात्रा तथा इसके कारण हुई अनुमानित आर्थिक हानि का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने मामलों की जांच की गई है;

(घ) उक्त जांच में लापरवाही के दोषी अथवा जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या और उनके विरुद्ध की गयी विभागीय, प्रशासनिक अथवा दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण हेतु वैज्ञानिक भंडारण क्षमता बढ़ाने, परंपरागत गोदामों के स्थान पर आधुनिक स्टील साइलो स्थापित करने तथा खाद्यान्न की बर्बादी रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई समयबद्ध कार्ययोजना लागू कर रही है; और

(च) यदि हाँ, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में खराब, जर्जर अथवा अपर्याप्त भंडारण व्यवस्था के कारण केंद्रीय पूल खाद्यान्न भंडार (चावल और गेहूं) को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

.....2/-

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण हेतु तथा बफर एवं रणनीतिक भंडार बनाए रखने हेतु लंबे समय तक बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और प्रबंधन करता है। चक्रवात/अचानक आई बाढ़/ बारिश आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत कम मात्रा में खाद्यान्न अनुपयोगी या क्षतिग्रस्त होता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के साथ-साथ आर्थिक नुकसान का राज्यवार और वर्षवार विवरण अनुबंध-क में संलग्न है।

(ग) और (घ): क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के प्रत्येक मामले की जांच तीन स्तरीय वर्गीकरण समिति द्वारा अर्थात् मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और आंचलिक स्तर पर की जाती है। जांच में 18 कर्मचारियों को दोषी पाया गया है। दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

(ड.) और (च): भंडारण अवसंरचना को उन्नत और आधुनिक बनाने के लिए, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत देश भर में साइलो निर्माण को मंजूरी दी गई है। 39.00 लाख टन भंडारण क्षमता वाले 76 स्थानों पर साइलो का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 25.625 लाख टन भंडारण क्षमता वाले 59 स्थानों पर साइलो का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है।

इसके अलावा, हब और स्पोक चरण-II के तहत, डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन (डीबीएफओओ) मोड में 17 बंडलों/परियोजनाओं के अंतर्गत 54 स्थानों पर 25.125 लाख टन साइलो के निर्माण के लिए निविदाएं आवंटित की गई हैं। 15 बंडलों/परियोजनाओं में 21.25 लाख टन (48 स्थानों) के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

******

अनुबंध-क

लोकसभा में दिनांक 29.07.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1804 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

एफसीआई गोदामों में जारी न करने योग्य/क्षतिग्रस्त खाद्यान्न भंडार के राज्यवार और वर्षवार विवरण सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान दर्ज किए गए आर्थिक नुकसान का विवरण निम्नलिखित है:

(आंकड़े टन में)

क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
बिहार	41	22	0	0.56	0
झारखंड	10	20	24	0	40
ओडिशा	3	0	9	0.02	0
पश्चिम बंगाल	179	0	0	0.14	9
असम	7	0	0	0	0
एनईएफ	15	59	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	10.17
मणिपुर	0	0	0	0	0.58
दिल्ली	62	13	0	3	1.72
हरियाणा	0	0	2511	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0.006
जम्मू और कश्मीर	261	248	0	0.09	0.82
पंजाब	100	264	7746	91	36
राजस्थान	63	136	6	1	2089
उत्तर प्रदेश	78	47	2	2254	21
उत्तराखंड	592	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	28	0	0	2	0
तेलंगाना	0	0	2	485	0
केरल	92	20	0	19	0
कर्नाटक	1	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	0	7	3001	0
गुजरात	21	87	23	13	0.84
महाराष्ट्र	140	713	18	1986	35
मध्य प्रदेश	0	0	0	2	2
मूल्य (करोड़ रुपये में)	2.5	2.5	14.5	13.9	3.2

*****